डॉ॰ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक: COE/...415.../2023 दिनांक: 28/06/2023

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या / निदेशक,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

विषयः— अंकतालिका एवं उपाधि वितरण के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

जैसा कि आपको विदित है कि वर्ष 2015 से 2022 तक की अंकतालिका एवं उपाधि विश्वविद्यालय छलेसर परिसर, आगरा से विशेष अभियान चलाकर वितरित की गयी थी, परन्तु कतिपय महाविद्यालयों द्वारा अंकतालिका एवं उपाधि विश्वविद्यालय से अभी तक प्राप्त नही की गयी हैं। विश्वविद्यालय द्वारा पुनः अंकतालिका एवं उपाधि हेतु विशेष अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2015 से 2022 तक की शेष उपाधियॉ एवं अंकतालिकाओं का वितरण निम्न कार्यक्रमानुसार किया जाना निर्धारित किया गया है:—

क0सं0	दिनांक	कालेज कोड	वितरण स्थल
1	30.06.2023	001 से 200 तक	विश्वविद्यालय, छलेसर कैम्पस, आगरा
2	01.07.2023	201 से 400 तक	
3	03.07.2023	401 से 600 तक	
4	04.07.2023	601 से 800 तक	
5	05.07.2023	801 से शेष सभी महाविद्यालय	

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्तानुसार अंकतालिकाओं को प्राप्त करने हेतु अपने महाविद्यालय के किसी शिक्षक / कर्मचारी को प्राधिकार पत्र, आधार कार्ड एवं अन्य पहचान पत्र तथा संलग्न प्रारूप पर घोषणा—पत्र के साथ भेजने का कष्ट करें, जिससे उपरोक्त अंकतालिकाओं का वितरण कार्य पूर्ण किया जा सके।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अधीक्षक, कुलपति सचिवालय को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. अधीक्षक, कुलसचिव कार्यालय।
3. प्रभारी वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
4. जनसम्पर्क अधिकारी को इस अनुरोध के साथ कि उक्त महत्वपूर्ण सूचना को छात्रहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
5. अधिकृत एजेन्सी 2023 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के लागईन आई0डी0 पर आज ही अपलोड करें।
6. एजेन्सी 2015—22 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. गार्ड फाइल।

उपकुलसचिव (परीक्षा)

घोषणा–पत्र

मैं .... घोषणा करता/करती हूँ कि.. महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय एवं शासनादेशों के निर्देशों का पालन करते हुए सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को निःशुल्क उपाधि एवं अंकतालिका वितरित की जाएगी। किसी भी छात्र/छात्रा को अन्य किसी रूप में शुल्क जमा कराने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि किसी छात्र/छात्रा द्वारा महाविद्यालय के प्रति शुल्क जमा कराने के सम्बन्ध में कोई शिकायत विश्वविद्यालय में की जाती है तो महाविद्यालय के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही कराने हेतु विश्वविद्यालय को पूर्ण अधिकार होगा।

प्राचार्य/प्राचार्या